1831

कार्यालय
S.R.-I
MZN.

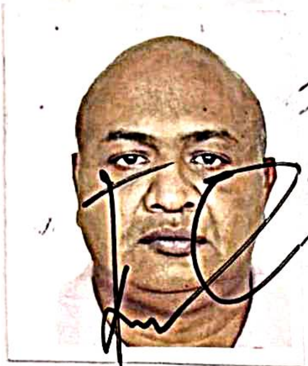

क्षेत्राधिकार कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर

लीज डीड 30 वर्ष

वार्षिक किराया - 12,000/-रुपये

स्टाम्प शुल्क - 1,440/-रुपये

सम्पत्ति स्थित- ग्राम नैराना परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
वी0 कोड- 110972

हम कि सनातन धर्म कालेज एसोसिएशन मुज़फ्फरनगर (पैन नं0- AAAAT8339G) द्वारा सह सचिव आकाश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री दीपक कुमार (आधार नं0- XXXX XXXX 5597) निवासी- 328, मौहल्ला कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (सम्पत्ति मालिक) व दि एस0 डी0 डिग्री कालेज, नैराना, जानसठ रोड, मुज़फ्फरनगर (पैन नं0- AAAAT8339G) द्वारा शिशिर संगल पुत्र श्री विनोद कुमार (आधार नं0- XXXX XXXX 7537) निवासी- मकान नम्बर- 493, मौहल्ला कम्बलवाला बाग, नई मण्डी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (किरायेदार) है। निम्नलिखित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत नहीं है।

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP78280937138951Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP78280937138951Y
Certificate Issued Date	:	29-Jan-2026 05:00 PM
Account Reference	:	NEWIMPACO (SV)/ up14137904/ MUZAFFARNAGAR/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1413790451031790580969Y
Purchased by	:	THE SD DEGREE COLLEGE BY SHISHIR SANGAL
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	PROPERTY SITUATED AT VILL-NAIRANA MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SANATAN DHARM COLLEGE ASSOCIATION BY AKASH KUMAR
Second Party	:	THE SD DEGREE COLLEGE BY SHISHIR SANGAL
Stamp Duty Paid By	:	THE SD DEGREE COLLEGE BY SHISHIR SANGAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,440 (One Thousand Four Hundred And Forty only)

₹1,440

सत्यमेव जयते

MANMOHAN GOEL

Tehsil Sadar Muzaffarnagar

A/C CODE-UP14137904

₹1,440

Please write or type below this line

IN-UP78280937138951Y

E-STAMP LOCKED BY............

PF 0031484719

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

जो कि प्रथम पक्ष दरोबस्त एक अहाता तामीरा पुख्ता व खाम सामना जिसकी चार दीवारी बनी हुई है, मय बिल्डिंग हर किस्म व मय आराजी तहती जिसकी आराजी तहती का क्षेत्रफल 10,448 वर्गमीटर है जो सम्बन्धित खसरा नम्बर 420 में स्थित है, जिसकी सीमायें पूरब आराजी आम का बाग, पश्चिम रास्ता सड़क, उत्तर आराजी पक्की नाली व दक्षिण भूमि सनातन धर्म कालेज वाकै है, स्थित ग्राम नैराना परगना व तहसील व जिला मुज़फ्फरनगर हकीयत मिलकियत तन्हा प्रथम पक्ष की है, जिस पर कोई भार व देनदारी नहीं है, जिसके सम्बन्ध में हर प्रकार के अधिकार तन्हा प्रथम पक्ष को हासिल है, जिसे द्वितीय पक्ष ने अंकन **12,000/-रुपये (बारह हजार रुपये)** वार्षिक किराये पर **दिनांक 01/01/2026ई0** से **दिनांक 29/11/2055ई0** तक वाजिब मुद्दत **30 वर्ष (तीस वर्ष)** के लिये किराये पर लिया है | दि एस0 डी0 डिग्री कालेज, सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन की सहायक संस्था है | अत: उक्त कियायानामा का स्टाम्प व निबंधन शुल्क दि एस0 डी0 डिग्री कालेज वहन कर रहा है | निम्न शर्तों के अनुसार प्रथम पक्ष से किराये पर लिया है, दोनों पक्षों के मध्य निम्न शर्तों की पाबन्दी अनिवार्य है:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष जरे किराये प्रति दस वर्ष प्रथम पक्ष को एडवान्स अदा करता रहेगा, हर सूरत नादेहन्दगी जरे किराया किसी भी वर्ष के प्रथम को अधिकार होगा की जरे किराया अपना मय सूद जाब्ता द्वितीय पक्ष की दीगर जायदाद से वसूल कर लें।

2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को मुद्दत मजकूरा अपने इस्तेमाल में लावे या ना लावे या खाली पड़ी रहे मगर हर सूरत अदायगी जरे किराया द्वितीय पक्ष के जिम्मे रहेगा।

3. यह कि मियाद समाप्ति पर द्वितीय पक्ष स्वयं उक्त सम्पत्ति को अपने कब्जे से खाली करके प्रथम पक्ष के कब्जे में दे देगा वरना द्वितीय पक्ष काबिज वेदखली होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में किसी को अपना शरीक किराया नहीं करेगा और ना ही किसी को शिकमी किराये पर दे सकेगा

5. यह कि मुद्दत मजकूरा तक उक्त सम्पत्ति के कुल टैक्स व विजली का खर्च की अदायगी द्वितीय पक्ष के जिम्मे होगी।

6. यह कि उक्त अवधि समाप्त होने अग्रिम वर्षों के लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से नया किरायानामा लिखकर व उसे रजिस्ट्रर्ड कराकर मियाद में वृद्धि कर सकेंगे।

7. यह कि द्वितीय पक्ष किराये की अवधि के दौरान उक्त सम्पत्ति में स्थाई या अस्थाई निर्माण अपनी आवश्यकतानुसार कर सकेगा।

8. यह की जुमला शरायत दस्तावेज हाजा के हर दो पक्ष व उनके वारिसान पाबन्द है, और हर सूरत पाबन्द रहेंगे | आज से पूर्व की जो भी रजिस्टर्ड लीज डीड होगी वो निरस्त व निष्प्रभावी मानी जायेगी |

अत: यह किरायानामा अनुबन्ध दोनों पक्षों ने लिख दिया की प्रमाण रहे और समय पर काम आवे | इति |

साक्षी ....

Rajendra Kumar S/o
Shri Chandra bal
1030/5A North Rampuri
Muzaffarnagar

साक्षी.......................................

सिद्धार्थ शर्मा
पुत्र चन्द्रपाल शर्मा
898, गांधी नगर
मुजफ्फरनगर

दिनांक:- 30/01/2026ई0

ड्राफ्टकर्ता:- शुभम गोयल एडवोकेट तहसील सदर मुज़फ्फरनगर

Registration No.- UP L 02957/2019

शुभम गोयल-एडवोकेट सीट नं0-3, तहसील

30/01/2026